

फा.1.7(1)/2021- भ. IV

संघ लोक सेवा आयोग

भर्ती IV अनुभाग

पद का नाम	कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी), कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याणविभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयमें निजी सचिव के एक (01) पद पर भर्ती।	
विज्ञापन सं	14/2021	
रिक्ति सं	21101402409	
लघुसूचीबद्ध करने के लिए अपनाए गए मापदण्ड	अनारक्षित	-
	अन्य पिछड़ा वर्ग	-
	अनुसूचित जाति	-
	अनुसूचित जनजाति	-
	पीडब्ल्यूबीडी	अ.यो. (क)
कौशल परीक्षण (आशुलिपि परीक्षण एवं टंकण परीक्षण) हेतु लघुसूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अनुक्रमांक	01,02,04,05,06,08,09,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,30,31,32,35,37,38,39,40,41,44,46,47,48&49. (39उम्मीदवार)

अस्वीकृत:

लघुसूचीबद्ध नहीं किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	श्रेणी जिसके अंतर्गत अस्वीकृत किया गया	अनुक्रमांक
	अपूर्ण	03, 07, 15, 33, 34, 36, 42 & 45. (08 उम्मीदवार)
	पात्र नहीं	43 [पीडब्ल्यूबीडी की उप-श्रेणी अर्थात स्कोलियोसिस (रीढ़ की हड्डी का मुड़ना) पद के लिए उपयुक्त नहीं है] (01 उम्मीदवार)
	विचार किए जाने के दायरे में नहीं	25 [उम्मीदवार पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि उसके पीडब्ल्यूबीडी प्रमाणपत्र की उप-श्रेणी(i) चलन दिव्यांगता एवं (ii) अल्प दृष्टि हैं] (01 उम्मीदवार)

महत्वपूर्ण अनुदेश:

ऐसे उम्मीदवार, जो उक्त पद हेतु लघुसूचीबद्ध किए जाने के प्रयोजनार्थ अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के आधार पर अपनी अस्वीकृति के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के इच्छुक हों, वे मुख्य आधार/कारण बताते हुए अपना अभ्यावेदन दिनांक **11.03.2022** तक prernasharma-upsc@gov.in पर प्रस्तुत कर दें। इस तारीख के बाद प्राप्त हुई मेल को खोला नहीं जाएगा। प्राप्त हुए सभी अभ्यावेदनों की जांच की जाएगी और यदि किसी मामले में उल्लिखित आधार/कारण, अपनाए गए मानदंडों तथा मापदंडों के अनुरूप सही पाए गए, तो ऐसे आवेदनों को लघुसूचीबद्ध किया जाएगा और शेष आवेदनों की अस्वीकृति की स्थिति बरकरार रहेगी। तत्पश्चात्, यदि संवीक्षा संबंधी विवरण में कोई परिवर्तन हुआ, तो संशोधित और अद्यतन संवीक्षा विवरण अपलोड किए जाएंगे। उक्त में से किसी ई-मेल का उत्तर अलग से नहीं दिया जाएगा।

अपनाए गए मानदंड	<p>i) यह संवीक्षा उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन-पत्रमें दी गई जानकारी और आवेदकों द्वारा किए गए दावों के अनुरूप अपलोड किए गए समर्थक दस्तावेजों के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है।</p> <p>ii) संवीक्षा, पीडब्ल्यूडी उप श्रेणी [ओएल- एक पैर प्रभावित (दायां या बायां), बीएल - दोनों पैर प्रभावित लेकिन हाथ नहीं] को उपलब्ध आरक्षण को ध्यान में रखते हुए की गई है।</p> <p>टिप्पणी :- आयोग द्वारा मानदण्डों का निर्धारण प्रत्येक मामले के आधार पर , किया जाता है।</p>
------------------------	---

उप सचिव (भ.।V)

उपरोक्त विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।